न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 262–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–14 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 15/सी–132/49

नरेन्द्र रोहिरा पुत्र श्री घनश्याम रोहिरा
निवासी आदित्यम, निम्बालकर की गोठ,
नं.2, हुजरातपुल लश्कर ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर
2–म0प्र0शासन

.....अनावेदकगण

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/4/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश 20–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष 29,000/– रुपये के स्टाम्प वापिस कर राशि आवेदक को दिलाये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 15/सी–132/13–14/49 दर्ज कर दिनांक 20–10–2014 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत रिफण्ड दावा संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं विक्रेता का विवाद हो जाने के कारण विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं हो पाया है और प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक को कब्जा भी नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में न्याय हित में स्टाम्प वापिस कर राशि का भुगतान आवेदक को किये जाने संबंधी आदेश दिये जाने थे, परन्तु आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक एवं स्टाम्प बेंडर द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष कथन किये गये थे, जिन पर कलेक्टर आफॅ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराना चाहता है, तब स्टाम्प की राशि वापिस की जाना चाहिये, क्योंकि जब दस्तावेज पंजीकृत ही नहीं हुआ तब स्टाम्प ड्यूटी का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इस संबंध में एआईआर 2002(झारखण्ड), 12 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर राशि वापिस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं हुआ है तो आवेदक को व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदक द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण नहीं हुआ है, क्योंकि विक्रय पत्र में चैक से भुगतान किये जाने का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश 20–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.